सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

पत्रावली पेश हुई।

उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित।

तहसीलदार शिव के पत्रांक भू.अ./2019/2938 दिनांक 21.10.2019 को पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है।

उभय पक्ष अधिवक्ताओं को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्रा0 डिकी के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता ने इसी अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने मे अपनी सहमति व्यक्त की है।

इसके विपरीत प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव पर मौखिक आपति की एवं निवेदन किया कि है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार शिव द्वारा बिना मौका जांच अपने कार्यालय मे ही तैयार करवाया गया है। जो मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नहीं है एवं उक्त विभाजन प्रस्ताव बनाने से पूर्व प्रतिवादीगण को कोई लिखित या मौखिक सूचना नहीं दी गई है। उक्त विभाजन प्रस्ताव राजस्व नियम 18 से 21 की पालना नही करता है। अतः तहसीलदार शिव को पुनः मौके पर भेजकर राजस्व नियम 18 से 21 की पालना करते हुए उभय पक्ष को नोटिस देकर, उभय पक्ष की उपस्थिति में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ताओ की बहस को सुना एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। दिनांक 9.07.2019 को तहसलीदार शिव द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव की मौका फर्द पर एवं नक्शा ट्रेस विभाजन पर प्रतिवादीगण के अगुष्ठ/हस्ताक्षर मौजुद है एवं इन दोनो पर गवाह नाराणाराम के अगुष्ठ निशानी भी मौजूद है। अतः यह स्पष्ट है कि मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय सभी प्रतिवादीगण मौके पर मौजूद थे तथा प्रतिवादीगण ने मौके पर विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया है। अतः प्रतिवादीगण की यह आपति खारिज की जाती है कि उन्हे मौके पर उपस्थित रहने बाबत् कोई लिखित या मौखिक सूचना नही दी गई थी।

दिनांक 14.10.2019 को न्यायलय मे पत्रावली के अवलोकन पर यह पाया गया कि मौका फर्द व नक्शा ट्रेस पर तहसीलदार शिव के हस्ताक्षर मौजूद नही थे। उसके उपरान्त तहसीलदार शिव को पुनः तहरी जारी की गई के विभाजन प्रस्ताव पर स्वंय के हस्ताक्षर सहित पुनः न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे तहसीलदार शिव ने अपने पत्र दिनांक 21.10.2019 द्वारा उक्त आक्ष्यपो की पूर्ति कर मूल विभाजन प्रस्ताव को पुनः लौटाया गया।

रेकर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 235 एवं 238 में स्थित है। जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दोनो भूमि की किस्म बा.चा. है। मौका फर्द के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव भुमि की गुणवता एवं काश्त कब्जा अनुसार तैयार किया गया है। अतः प्रतिवादीगण की यह आपति खारिज की जाती है कि यह विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त अनुसार नही है।

विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण की सहमति है तथा प्रतिवादीगण की सहमति नही है। इस सन्दर्भ मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 (2) (ii) का उल्लेख आवश्यक है यदि पक्षकरान के मध्य सहमति ही होती तो वे धारा 53 (2) (i) के तहत सहमति विभाजन करवा चुके होते। असहमति के वजह से ही वर्तमान वाद की आवश्यकता पडी है।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

लिहाजा उपरोक्त तर्कको के आधार पर माफिक विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर ग्राम मौखाब कला, पटवार मण्ड मौखाब तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 235, 238 रकबा कमशः 15.08, 49.18 बीघा भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी मे घोशित की जाती है :–

क्र. स.	नाम खातेदार मय वल्दियत	नाम ग्राम खाता संख्या	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान	बंरग
1.	मोटाराम, कुम्भाराम, ठाकराराम पि0 उमाराम फुली पत्नि उमाराम, जाति–जाट, सा0देह खातेदार–रहन कुंभाराम का हि0 एस. बी.बी.जे. भाखा मौखाब के पक्ष में	मौखाब कला खाता सं 137	235 238 02	15.08 0.18 16.06	बा.चा. बा.चा. बा.चा.	0.46 0.03 0.49	लाल
2.	डालुराम पुत्र जीयाराम, जाति–जाट, सा0 देह खातेदार	मौखाब कला खाता सं 137	238	16.07	बा.चा.	0.49	हरा
3.	पदमाराम पुत्र विरधाराम, जाति–जाट, सा0 देह खातेदार	मौखाब कला खाता सं 137	238	16.07	बा.चा.	0.49	पीला
4.	लिखमाराम पुत्र विरधाराम, जाति–जाट, सा0 देह खातेदार रहन खसरा नम्बर 238 आर.एम.जी. बी. भाखा भीयाड़ के पक्ष में	मौखाब कला खाता सं 137	238	16.06	बा.चा.	0.49	बैगनी

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद और नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा तथा बैक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिव, जिला बाडमेर

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 21.10.2019 को सुनाया गया।
पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिव, जिला बाडमेर

Scanned by CamScanner

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

डिक्री पर्चा
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी शिव
(पीठासीन अि धकारी श्री प्रताप सिंह)

राजस्व वाद सं. 94/2017
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 RT Act.

वदी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. लिखमा पुत्र विरधा, जाति–जाट, नि0 मौखाब कला तह0 शिव		1. पदमा पुत्र विरधा 2. मोटाराम पुत्र उमाराम 3. कुम्भाराम पुत्र उमाराम 4. ठाकराराम पुत्र उमाराम 5. मु. फुली पत्नी उमाराम 6. डालु पुत्र जीया जाति–जाट, नि0 मौखाब कला तह0 शिव 7. शाखा प्रबंन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैक भीयाड 8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीदार शिव

निर्णय

वादी की ओर से श्री ब्रजमोहन कुमावत एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग की उपस्थिति में आज तारीख 21.10.2019 को सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

माफिक विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर ग्राम मौखाब कला, पटवार मण्डल मौखाब तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 235, 238 रकबा कमशः 15.08, 49.18 बीघा भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी मे घोषित की जाती है :–

क्र. स.	नाम खातेदार मय वल्दियत	नाम ग्राम खाता संख्या	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान	बंरग
1.	मोटाराम, कुम्भाराम, ठाकराराम पि0 उमाराम फुली पत्नि उमाराम, जाति–जाट, सा0देह खातेदार–रहन कुंभाराम का हि0 एस.बी.बी.जे. शाखा मौखाब के पक्ष में	मौखाब कला खाता सं 137	235 238	15.08 0.18	बा.चा. बा.चा.	0.46 0.03	लाल
			02	16.06	बा.चा.	0.49	
2.	डालुराम पुत्र जीयाराम, जाति–जाट, सा0 देह खातेदार	मौखाब कला खाता सं 137	238	16.07	बा.चा.	0.49	हरा

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

3.	पदमाराम पुत्र विरधाराम, जाति–जाट, सा0 देह खातेदार	मौखाब कला खाता सं 137	238	16.07	बा.चा.	0.49	[illegible]
4.	लिखमाराम पुत्र विरधाराम, जाति–जाट, सा0 देह खातेदार रहन खसरा नम्बर 238 आर.एम.जी.बी. शाखा भीयाड़ के पक्ष में	मौखाब कला खाता सं 137	238	16.06	बा.चा.	0.49	बैगनी

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद और नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा तथा बैक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा ।

आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 14:50:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: